कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग

–:: निविदा सूचना ::–

क्रमांक /   / स्वा0वि0 / 2016   दुर्ग, दिनांक ....

नगर पालिक निगम दुर्ग के एकीकृत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन परियोजना अंतर्गत सी0डी0एस0 / महिला समूह / एन0जी0ओ0 / ठेकेदार से वार्ड क्रमांक 01 से 60 तक वार्डो से (अपशिष्ट) मलमा जिसमें क्रांकिट, गिट्टी, मिट्टी व अन्य सामाग्री शामिल है। परिवहन एवं निष्पादन हेतु जीरों वेस्ट मैनेजमेंट योजना अंतर्गत C&D (अपशिष्ट) हेतु दिनांक 03.11.2016 कों निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कंडिका क्रमांक 08 में दिये गये शर्त का पालन करना होगा। जिसे **www.municipalcorporationdurg.com** से डाउन लोड किया जा सकता है । डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य डी0डी0 संलग्न कराना अनिवार्य होगा । निविदा तीन लिफाफा पद्वति के साथ लिफाफे में संलग्न की जावेगी। प्रथम लिफाफे में फर्म, एन.जी.ओ. / ठेकेदार / एस.एच.जी. का पंजीयन एवं बाईलाज / डी.डी. / एफ.डी.आर., लायसेंस, ई.एम.डी. आदि होंगे । द्वितीय लिफाफा वित्तीय लिफाफा होगा जिसमें निर्धारित प्रारूप मे दर भरकर देना होगा । दोनो लिफाफे एक लिफाफे में डालकर सील बंद कर आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के पते पर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डॉक द्वारा भेजा जाना अनिवार्य होगा. । हाथो हाथ कोई निविदा नही ली जावेगी । स्पीड पोस्ट से प्राप्त दिनांक 21.11.2016 को सांय 05:30 बजे तक ही स्वीकार्य होगा। निविदा समय सीमा में प्राप्त नही होने पर मान्य नही किया जायेगा।

प्राप्त निविदा निविदाकारों के समक्ष दिनांक 22.11.2016 को शाम 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खोली जावेगी ।

क्रमांक	वार्ड कमांक	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	01 से 60 तक	25,000.00	1000.00

निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबंध के साथ रूपये 1.00 लाख (एक लाख रूपये) बैंक गारंटी/FDR जमा करनी होगी।

निविदा की नियम एवं शर्ते कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालयीन अवधि में अवलोकन किया जा सकता है ।

Sd/-
आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / 453/4 / स्वा0वि0 / 2015 दुर्ग, दिनांक 03/11/2016

प्रतिलिपिः–

1. मान्नीय महापौर महोदया, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सादर सूचनार्थ ।
2. माननीय सभापति महो0 नगर पालिक निगम, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
3. प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सादर सूचनार्थ ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग को प्रदेश स्तरीय समाचार पत्र के एक अंक में प्रकाशन हेतु ।
5. प्रभारी अधिकारी डाटा सेंटर नगर पालिक निगम, दुर्ग को निविदा सूचना वेबसाइट में डाउन लोड करने हेतु सूचनार्थ ।

1. नगर पालिक निगम मुख्य कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।
(C&D निष्पादन हेतु नियम व शर्तें)

1. निविदाकार को नगर में उत्पन्न C&D (अपशिष्ट) को उत्पादक द्वारा अपने प्रांगण में अलग–अलग व्यवस्थित संग्रहित करना होगा (जिसमें क्रांकिट, मिट्टी व अन्य) सामाग्री शामिल है।
2. C&D के साथ MSW को मिक्स करना प्रतिबंधित है अतः अलग–अलग निष्पादन हेतु रखा जावेगा, जिसे ठेकेदार के द्वारा निर्धारित स्थल पर परिवहन कर निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी।
3. ठेकेदार द्वारा C&D उत्पादनकर्त्ता से 500 रू. यूजर चार्ज वसूल करना होगा।
4. ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्ति पश्चात वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान तैयार करना होगा (जिसमें परिवहन, संग्रहण, पृथककरण एवं निष्पादन किया जाना सम्मिलित है) जिसके लिये स्थल की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जावेगी।
5. C&D Rules 2016 के प्रावधानों के अनुसार वेस्ट मेनेजमेन्ट प्लान के अनुरूप अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का ठेकेदार को पालन करना होगा।
6. उत्पादनकर्त्ता द्वारा C&D Rules 2016 के अनुसार निर्धारित परिसर में अपशिष्ट का व्यवस्थित संग्रहण, पृथककरण एवं निष्पादन स्वयं के व्यवस्था से करता है तो उसे निर्धारित शुल्क मुक्त रखा जावेगा।
7. ठेकेदार द्वारा उत्पादित अपशिष्ट के परिवहन उपरान्त पृथककरण एवं निष्पादन के पश्चात अलग किये गये सामाग्री का विक्रय किया जा सकेगा। जिससे निर्धारित रायल्टी नगर पालिक निगम, दुर्ग को देय होगा।
8. अमानत राशि 25,000/– आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग के नाम एफ0डी0आर0/डी0डी0 संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. ठेकेदार को एक ट्रेक्टर एवं ट्राली उपलब्ध कराया जाएगा। शेष वाहनों की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
10. ठेकेदार को निगम मे लगे 1 ड्राइवर एवं 4 लेबर को प्राथमिकता के आधार पर रखना होगा।
11. निविदाकार को C&D Waste एकत्र कर उसका पुनचर्क्रण कर उससे उपयोगी सामान बनाकर विक्रय/उपयोग कर आय अर्जित करना होगा।
12. नगर निगम, दुर्ग के समस्त वार्डो से लगभग 30 से 40 टन C&D Waste अनुमानित है।
13. इस कार्य के लिये पंजीकृत एजेंसी/एन.जी.ओ./परिवहनकर्त्ता/स्वसहायता समुह द्वारा दरे दी जा सकती है
14. निगम के द्वारा सूचना दिये जाने उपरांत 24 घंटा के अंदर मलमा उठाना अनिवार्य होगा।
15. मलमा उठाने के उपरांत स्थल पर समतलीकरण करने का दायित्व एजेंसी का रहेगा।
16. उठाये गये मलमा के विक्रय से प्राप्त राशि पर एजेंसी का अधिकार होगा।
17. निगम क्षेत्र में किसी भी स्थान पर मलमा जमा होने की सूचना प्राप्त होने पर एजेंसी द्वारा निगम को सूचित करना अनिवार्य होगा।

18. एजेंसी द्वारा 24 घंटा के अंदर मलमा नहीं उठाने पर निगम द्वारा मलमा निपटान की व्यवस्था की जावेगी एवं प्रति ट्रीप राशि 1000.00 (एक हजार) दण्ड की राशि निगम कोष में जमा करना होगा। राशि नहीं जमा नही करने पर धरोहर राशि में समायोजन किया जावेगा। लगातार तीन बार इसकी पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि राजसात करते हुये निविदा निरस्त किया जा सकेगा।
19. सशर्त निविदा मान्य नही रहेगा।
20. प्रचालक को किये गये कार्यो का सम्पूर्ण दस्तावेज एवं रिकार्ड अर्थात लागबुक, पर्ची रखना होगा तथा प्रतिदिवस प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।
21. प्रचालक द्वारा प्रस्तुत दरों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के व्यय सम्मलित होना चाहिए। I.T\C.T.\Service Tax\Vat\Cass अन्य Tax जो भी लागू हो, के भुगतान की जिम्मेदारी प्रचालक की होगी।
22. प्रचालक द्वारा प्रस्तुत दरों में ईधन, ड्रायवर, सुरक्षा, संधारण एवं व्यवस्था होने वाले व्यय की पूर्ण जिम्मेदारी प्रचालक की होगी।
23. कार्य के दौरान एक्सीडेंट या अन्य न्यायालयीन प्रकरणें के दावा इत्यादि होने की स्थिति में इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रचालक की होगा।
24. कार्य की मात्रा कम या अधिक करने का निर्णय, आयुक्त नगर निगम, दुर्ग का होगा।
25. वाहनों मे चालक डीजल/आईल रख–रखाव मेंटेनेन्स आदि की व्यवस्था निविदाकार की होगी। उपलब्ध कराये जाने वाले ट्रैक्टर ट्राली में चालक चार लेबर सहित डीजल/ऑईल रख–रखाव मेंटेनेंस आदि की व्यवस्था निविदाकर की होगी।
26. ठेकेदार द्वारा अनाधिकृत रूप से C&D उठाने की शिकायत दिये जाने पर अनाधिकृत व्यक्ति के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
27. भाग लेने वाले निविदाकार को श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
28. प्रतिदिन उठाया गये मलमा/यूजर चार्ज वसूली तथा विक्रय किये गये सामाग्री की जानकारी मय दस्तावेज निगम में उपलब्ध कराया जावेगा।
29. ठेकेदार को कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से EPF की शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत राशि तथा ESIC की निर्धारित राशि कर्मचारियों के वेतन से कटौती एवं ठेकेदार के अंशदान निर्धारित प्रतिशत राशि प्रतिमाह EPF/ESIC कार्यालय में जमा कर चालान प्रस्तुत करना होगा।
30. निविदा के निर्धारित फार्म अमानत राशि के व्यय संबंधित निविदाकार को वाहन करना होगा।
31. निविदा के दस्तावेज अलग लिफाफे में व अमानत राशि अलग लिफाफे में जमा करना होगा।
32. निविदा सीधे पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त किया जावेंगा ।
33. निविदा स्वीकृत होने पर 100/– रूपये के शपथ पत्र पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
34. उक्त निविदा 03 वर्षो के लिये होगी, कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में नवीनीकरण किया जावेगा।
35. C&D (अपशिष्ट) उत्पादन के लिए मशीन (प्लांट) लगाने हेतु नगर निगम अधिकतम 05.00 लाख रूपये देगी। उक्त मशीन लगाने में 05.00 लाख रूपये से अधिक व्यय होने की स्थिति में ठेकेदार स्वयं व्यय करेगा।
36. C&D (अपशिष्ट) से निर्मित माल बेचने के लिये ठेकेदार स्वतंत्र रहेगा। माल बेचने से प्राप्त होने वाली आय ठेकेदार की होगी।